भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 983

05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में एम्स की स्थापना

983. श्री शफी परम्बिलः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
श्री एम. के. राघवनः
श्री के. सी. वेणुगोपालः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार के पास वर्तमान वित्त वर्ष में केरल राज्य सरकार की मांग को देखते हुए एम्स की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव है या इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अगले चरण में पहले ही शामिल किया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा अनुमोदन में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में प्रस्तावित एम्स के स्थान को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त राज्य में संभावित एम्स स्थल के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन, स्थल मूल्यांकन या सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार अलप्पुझा, कोझीकोड और पलक्कड़ जिलों में एम्स के आवंटन पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 2020 से एम्स की स्थापना हेतु स्थान के लिए उक्त राज्य से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या वित्त मंत्रालय ने उक्त राज्य में एम्स की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर विचार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (छ): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में, केरल

सरकार ने कोझीकोड जिले के किनालूर में भूमि चिन्हित करने की सूचना दी है। हालाँकि, पीएमएसएसवाई के वर्तमान चरण में केरल में एम्स की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण/जल विज्ञान अध्ययन आदि सहित निवेश-पूर्व कार्य योजना के अंतर्गत परियोजना के अनुमोदन के पश्चात ही किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, केरल में विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा सुविधा केंद्रों को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए, पीएमएसएसवाई के एक अन्य घटक के अंतर्गत, केंद्र-राज्य लागत साझाकरण के आधार पर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) के निर्माण के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी मेडिकल कॉलेजों यथा (i) त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज, त्रिवेंद्रम (ii) टीडी मेडिकल कॉलेज, अलप्पुझा (iii) कोझीकोड मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड के उन्नयन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के बीच लागत साझाकरण के आधार पर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) के निर्माण के माध्यम से श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी संस्थान (एससीटीआईएमएसटी), त्रिवेंद्रम के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई है।
